बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0- 379034 दिनांक 13/7/2018

ग्रा0वि0-15 स्वच्छता-18/2016

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को राज्य में क्रियान्वित करने की जिम्मेवारी बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) को दी गयी है । इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर जीविका द्वारा "स्वच्छ जीविका-स्वच्छ बिहार" अभियान प्रारम्भ किया गया है जिसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से जूडे वैसे परिवार जिसके पास शौचालय की उपलब्धता नहीं है उन परिवारों को शौचालय की उपलब्धता एवं उपयोग सुनिश्चित कराया जाना है । इस अभियान अंतर्गत समूह से जुडे परिवारों द्वारा शौचालयों के निर्माण के उपरांत आवेदन पत्र (विहित प्रपत्र) की प्राप्ति एवं नवनिर्मित शौचालयों के भौतिक सत्यापन करने की जिम्मेवारी संबंधित जीविका मित्र / सामुदायिक उत्प्रेरकों को सौंपी गयी है । जीविका मित्र द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित आवेदनों को संबंधित ग्राम संगठन के एक सदस्य द्वारा अनुशंसित किया जायेगा ।

उपरोक्त हस्ताक्षरित एवं सत्यापित आवेदन पत्र प्रखंड कार्यालय में प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा अनुशंसा के साथ जमा किया जायेगा । प्रखंड विकास पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों को नियमानुसार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के आई.एम.आई.एस. पर अद्यतन कर जिओ टैगिंग कराते हुए अद्यतन प्रभावी प्रावधानों के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

13/7/18

(बालामुरूगन डी.)

आयुक्त, स्वरोजगार

ज्ञापांक 379034 पटना, दिनांक 13/7/2018

प्रतिलिपि :- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका-सह-मिशन निदेशक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वचछता समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/7/18

आयुक्त, स्वरोजगार